“33”
pib.nic.in
mod.nic.in

पत्र सूचना कार्यालय)रक्षा विंग(
भारत सरकार
****
‘हर काम देश के नाम’

नई दिल्लीः आषाढ़ 09, 1944

बृहस्पतिवारः30 जून 2022

रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने पूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना (ईसीएचएस) के लिए दवाओं और उपभोग वस्तुओं की खरीद के लिए बढ़ी हुई मौद्रिक सीमा को मंजूरी दी

रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने प्राधिकृत स्थानीय औषध विक्रेताओं (एएलसी) से पॉलीक्लिनिक की सभी श्रेणियों में उपलब्ध नहीं (एनए), आपात, जीवनरक्षक और आवश्यक दवाओं की खरीद के लिए मौद्रिक सीमा को 100% तक बढ़ाने को मंजूरी दी है। यह ईसीएचएस लाभार्थियों के लिए दवाओं की आसान और समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करेगा। (किस्म क और ख 2.5 लाख रुपये से 5 लाख रुपये, किस्म ग 1.5 लाख रुपये से 3 लाख रुपये, किस्म घ 1 लाख रुपये से 2 लाख रुपये तक)।

दवाओं की आपूर्ति के संबंध में पूर्व सैनिकों से विभिन्न अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। सरकार ने ईसीएचएस लाभार्थियों के लिए दवाइयों की खरीद की प्रक्रियाओं में पहले ही कई संशोधन किए हैं। ईसीएचएस पॉलीक्लीनिक वाले सभी स्टेशनों में, स्थानीय मेडिकल स्टोरों/ औषध विक्रेताओं को उपलब्ध नहीं (एनए), आपात, जीवन रक्षक और आवश्यक दवाओं की आवश्यकतानुसार आपूर्ति के लिए सूचीबद्ध किया गया है। पैनल में शामिल स्थानीय मेडिकल स्टोरों/ औषध विक्रेताओं से संबंधित कार्य स्टेशन कमांडर द्वारा गठित अधिकारियों के बोर्ड द्वारा किया जा रहा है। इस सीमा से अधिक के किसी भी व्यय को ईसीएचएस प्रबंध निदेशक (एमडी) द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। सीओ, ईसीएचएस अन्य ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक से आवश्यक निधि को फिर से उपयुक्त कर सकता है, यदि आवश्यक हो।

सरकार ने 25.03.2022 को पहले ही खुले बाजार से खरीदी गई दवाओं और उपभोग की वस्तुओं की लागत की प्रतिपूर्ति के लिए मंजूरी दी थी, जो ईसीएचएस पॉलीक्लीनिक / प्राधिकृत स्थानीय औषध विक्रेताओं के पास उपलब्ध नहीं को एक बार में पहले के 15 दिनों की तुलना में अधिकतम 30 दिनों की अवधि के लिए थी, बशर्ते कि दवाओं और उपभोग की वस्तुओं के अधिकतम मूल्य सामान्य परिस्थितियों में हर बार 25,000 /- रुपये से अधिक न हो और विशेष परिस्थितयों में हर बार 75,000 /- रुपये अधिक न हो। कैंसर की दवाओं के मामले में जहां दवाओं और उपभोग पदार्थों का अधिकतम मूल्य हर बार पहले के 2 लाख रुपये से 5 लाख रुपये होगा। यह पूर्वसैनिकों को आवश्यक दवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में एक बड़ा कदम होगा।

एबीबी/डीएस/आरपी